# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री,
**RAS**

## प्रकरण संख्या –38/2021
## दायर दिनांक– 11.02.2021

श्री डालचन्द पिता श्री भेरूलाल ब्राम्हण उम्र– वयस्क निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

.....अपीलाण्ट

**बनाम**

1. श्री बालमुकुन्द पिता श्री हीरालाल ब्राम्हण ब्राम्हण उम्र– वयस्क निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री शंकरलाल पिता श्री भेरूलाल ब्राम्हण उम्र– वयस्क निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
3. श्री मथुरालाल पिता गौरीशंकर ब्राम्हण उम्र– वयस्क निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
4. श्री लक्ष्मीलाल पिता शंकरलाल ब्राम्हण उम्र– वयस्क निवासी उत्तरवाड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
5. श्री हीरालाल पिता उदयलाल तेली उम्र–वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़
6. श्री जमनालाल पिता उदयलाल तेली उम्र–वयस्क, निवासी बोहेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़

..... रेस्पोंडेण्ट्स

## अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.04.2017 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ बसिलसिले मुकदमा नं0 25/2017

उपस्थितः–

1. श्री लोकेश मेनारिया, अधिवक्ता वास्ते अपीलाण्ट ।
2. श्री दीपक मेनारिया, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोंडेण्ट सं0 1व 3

## –:: निर्णय ::–

दिनांक– 09.07.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 बालमुकुन्द द्वारा अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से 6 के विरूद्ध ग्राम बोहेड़ा की प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने का आवेदन

अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्य एक्ट दिनांक 06.04.2017 को पेश किया । उक्त आवेदन को दिनांक 11.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज कर अपने संक्षित आदेश में बिना अपीलाण्ट व अन्य विपक्षी को सुने, पत्थरगढ़ी का आदेश पारित कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 11.04.2017 से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट डालचन्द विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 28.11.2019 को मय आवेदन अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट्स को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपम मेनारिया ने उपस्थिति दी। रेस्पोंडेण्ट्स संख्या 2, 4, 5 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । दफा 5 मियाद अधिनियम व अपीलाण्ट को पूर्व सूचना होने की कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस वकील अपीलाण्ट द्वारा वर्णित किया गया कि अपीलाण्ट ने अपील में यह कथन किया है कि अपीलाण्ट व विपक्षी रेस्पोंडेण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है । तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा भी उन्हें कोई सूचना दिये बिना पत्थरगढ़ी तरबीब कर दी । पत्थरगढ़ी के परचा मौका पर उनके हस्ताक्षर नहीं करने के आधार पर तरबीब कर दी । वकील रेस्पोंडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताया व अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड, समाअतशुदा बहस एवं रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पक्षकारों को सुने बिना आदेश दिये जाने का प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय है, अतएवं उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक, विधिक एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत् निर्णय पारित करें । पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक को उपस्थित हों ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर